

पत्र संख्या-11/आ0-विविध-01/2017 सा0प्र0. 8137

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

बिजय कुमार श्रीवास्तव,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
मुजफ्फरपुर/सीतामढ़ी/नवादा,
बिहार।

पटना-15, दिनांक-19-6-19

विषय :- Lohara (लोहार) जाति को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि केन्द्र सरकार की सेवाओं में नियुक्ति/चयन हेतु लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में परामर्श की मांग की गई है। साथ ही भारत सरकार की सेवाओं में नियुक्ति के लिए लोहार जाति के अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु प्रमाण-पत्र कैसे निर्गत किया जाय, के संबंध में भी परामर्श की मांग की गई है।

उल्लेखनीय है कि संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश संशोधन अधिनियम, 2006 (संख्या-48/2006) को निरसित कर दिया गया है। तदनुसार राज्य के लोहार जाति के अभ्यर्थियों को अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 (संख्या-108/1976) के आलोक में Lohara (लोहार) जाति को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने एवं अन्य सुविधाएँ देने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र संख्या-10818 दिनांक-08.08.2016 निर्गत किया गया है।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि अधिनियम संख्या-108/1976 में Lohara (लोहार) समेकित रूप से अंकित है। इसी के आधार पर आर0टी0पी0एस0 के द्वारा राज्य के लोहार जाति के सदस्यों को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा रहा है।

अतः आवश्यकतानुसार राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार के प्रयोजनार्थ हिन्दी अथवा अंग्रेजी में जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा सकता है, किन्तु किसी भी प्रारूप/लिपि (हिन्दी अथवा अंग्रेजी) में जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करते समय भारत सरकार के संशोधन अधिनियम संख्या-108/1976 के आलोक में Lohara (लोहार) समेकित रूप से अंकित करना अनिवार्य होगा, किन्तु केन्द्र सरकार की सेवाओं के प्रयोजनार्थ राज्य की लोहार जाति के अभ्यर्थियों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ0बी0सी0) का प्रमाण-पत्र सम्प्रति निर्गत नहीं किया जा सकता है।

विश्वासभाजन


19-06-19

(बिजय कुमार श्रीवास्तव)
सरकार के अवर सचिव।